पंजीकृत/अपंजीकृत गौशालाओं के व्यवस्थापक/प्रतिनिधियों तथा प्रगतिशील गोपालकों को छः दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से पंजीकृत गौशालाओं के व्यवस्थापकों/प्रतिनिधियों को **"छः दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण"** राजस्थान पशुधन प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जामडोली आगरा रोड़, जयपुर में आयोजित किया जाकर प्रशिक्षित किया जाता है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2014–15	7,62,500/–	250	124
2.	2015–16	7,62,500/–	250	250
3.	2016–17 (4 दिवसीय प्रशिक्षण)	7,62,125/–	325	–

प्रशिक्षणार्थी की पात्रता :–

1. शैक्षणिक योग्यता कम से कम कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण।
2. सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग की अनुशंषा पर पंजीकृत/अपंजीकृत गौशालाओं के व्यवस्थापक/प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्याख्याता की शैक्षणिक योग्यता :–

1. राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत एवं पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान स्नातक।
2. आयुर्वेदिक चिकित्सक, कृषि अधिकारी (सम्बन्धित विषय अनुसार)।

कार्य योजना :–

1. प्रशिक्षण अवधि छः दिवसीय होती है। (वर्ष 2016–17 से चार दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान कर दिया गया है।)
2. 12 व्याख्यान सैद्धान्तिक एवं छः व्याख्यान प्रायोगिक प्रति व्याख्यान समय 2 घंटे रहता है।
3. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषय विशेषज्ञों को रू. 500/– प्रति व्याख्यान मानदेय दिया जाता है।
4. प्रशिक्षणार्थियों को आने–जाने का सामान्य बस/रेल मार्ग का वास्तविक किराया देय होता है।
5. जल–पान, भोजन, चाय एवं आवास की व्यवस्था निदेशालय गोपालन द्वारा निःशुल्क की जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभ :–

1. देशी नस्ल के गौवंश के संवर्धन, संरक्षण की नवीनतम जानकारी।
2. अक्षय ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन करना– गोबर गैस/सौर ऊर्जा/बैल संचालित उपकरण के विकास एवं विस्तार की जानकारी।
3. वेस्ट लेण्ड एवं गोचर भूमि पर चारा विकास एवं चारा संरक्षण की नवीनतम जानकारी।
4. जलीय सतह पर हरा चारा (अजौला) उत्पादन की आवश्यकता।
5. भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, निदेशालय गोपालन, पशुपालन एवं कृषि विभाग की योजना की जानकारी।
6. राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत गौशालाओं को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी।
7. राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 की जानकारी।